भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-68
उत्तर देने की तारीख-25/11/2024

तमिलनाडु में आदर्श स्कूल

†68. **श्री नवसकनी के.:**
श्री जी. सेल्वम:
श्री सी.एन. अन्नादुरई:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में सरकार द्वारा स्थापित आदर्श विद्यालयों की संख्या कितनी है;

(ख) उनके स्थानों के चयन के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(ग) आदर्श विद्यालयों हेतु शामिल किए गये जिलों और राज्यों की कुल संख्या तथा प्राथमिकता वाले ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों का प्रतिशत क्या है;

(घ) इन विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ड.) ऐसे विद्यालयों की स्थापना के लिए पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्राप्त/स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या तथा ऐसे विद्यालय कहां-कहां खोल गए हैं, इसका राज्य-वार विशेष रूप से तमिलनाडु में ब्यौरा क्या है;

(च) उक्त अवधि के दौरान इन विद्यालयों के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार, स्थान-वार विशेष रूप से तमिलनाडु में ब्यौरा क्या है;

(छ) आदर्श विद्यालयों में विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों की लड़कियों और छात्रों के बीच नामांकन दरों का ब्यौरा क्या है; और

(ज) यह सुनिश्चित करने के लिए कि आदर्श विद्यालय शिक्षा के उच्च मानकों को बनाए रखें और एक नवीन तथा आधुनिक पाठ्यक्रम का पालन करें, सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ज): मॉडल स्कूल योजना में ब्लॉक स्तर पर उत्कृष्टता मानक के रूप में प्रत्येक ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल स्थापित करने की परिकल्पना की गई थी। इस योजना के कार्यान्वयन के दो तरीके, अर्थात (i) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों

(ईबीबी) में स्कूल स्थापित करना, और (ii) शैक्षिक रूप से पिछड़े नहीं होने वाले ब्लॉकों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत शेष स्कूल हैं। मॉडल स्कूलों को उत्कृष्ट स्कूल माना जाता है और उनसे पड़ोस के स्कूलों के लिए अनुकरणीय आदर्श बनने की अपेक्षा की जाती है। मूल रूप से एक मॉडल स्कूल में बुनियादी ढांचे और सुविधाएं केंद्रीय विद्यालय के समान मानक की होती हैं और इसमें छात्र-शिक्षक अनुपात, आईसीटी की सामग्री, समग्र शैक्षिक वातावरण, उपयुक्त पाठ्यक्रम और आउटपुट और आउटपुट पर जोर देने की शर्तें होती हैं।

इस योजना को वर्ष 2015-16 से भारत सरकार की सहायता से अलग कर दिया गया है और इसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को हस्तांतरित कर दिया गया है। चूंकि मॉडल स्कूल योजना को वर्ष 2015-16 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को हस्तांतरित कर दिया गया है, इसलिए वर्ष 2015-16 से कोई प्रस्ताव प्राप्त/स्वीकृत नहीं हुआ है।

मॉडल स्कूल योजना का प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकार के पास है और चूंकि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए देश में अधिकांश स्कूल और शिक्षक राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं।

*****